न्याय, जो पशु जगत के लिए भी जगह बनाता है

चर्चा में क्यों?

- जल्लीकट्टू मामले के संदर्भ में, यह तर्क देना निश्चित है कि मनुष्य के सार्थक जीवन जीने के अधिकार में एक ऐसे समाज में रहने का अधिकार शामिल है जो जानवरों का समान सरोकार रखता है।

कानून

- यदि कानून को न्याय प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, तो संवैधानिक अधिकारों का विचार केवल मनुष्यों के कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य जीव-जन्तुओं के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता में भी शामिल होगा।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का पाठ, जिन अधिकारों की गारंटी देता है, वे "व्यक्तियों" के उद्देश्य से हैं।
- जानवरों को भी व्यक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए और इसके लिए जल्लीकट्टू को संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार पर अतिक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए।

जल्लीकट्टू मामला

- 18 मई, 2023 को पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया फैसला न केवल भविष्य के लिए एक मजबूत न्यायशास्त्र प्रदान करने में विफल रहा, बल्कि संघर्ष को हल करने के प्रतिगामी प्रयास का भी प्रतिनिधित्व करता है। जल्लीकट्टू के खेल में खुले मैदान में छोड़े गए उत्तेजित सांडों के कूबड़ को पकड़कर पुरुष एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पहले इस अभ्यास को अवैध घोषित कर दिया था। वहीं, ए. नागराजा मामले में, दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि बैल कभी भी प्रदर्शन करने वाले जानवर नहीं हो सकते, कि वे प्रतियोगिता के लिए शारीरिक रूप से अनुपयुक्त थे और प्रभावी रूप से उन्हें एक अभ्यास में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिससे उन्हें अनावश्यक दर्द और पीड़ा होती थी।
- इसलिए, न्यायालय के विश्वास में, जल्लीकट्टू के किसी भी आचरण ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन किया है।

- फैसले से उबरने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने 2017 में, 1960 के केंद्रीय कानून में कई संशोधन किए। इन परिवर्तनों के माध्यम से, राज्य ने यह सुनिश्चित किया कि जल्लीकट्टू को क़ानून द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा से पूरी तरह से छूट दी गई थी।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज मामला (2014)

- इस मामले में भारतीय राज्यों तमिलनाडु और महाराष्ट्र में क्रमशः जल्लीकट्टू (बैल-कुश्ती) और बैलगाड़ी दौड़ की प्रथा को समाप्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित गरिमा तथा निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार के तहत केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु भी शामिल हैं।

अन्य निर्णय

- जुलाई, 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय और जून, 2019 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा ने कहा कि जानवरों के पास एक जीवित व्यक्ति के संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक अलग कानूनी इकाई है और जिसने बाद में सभी नागरिकों को लोको पेरेंटिस व्यक्तियों के रूप में जानवरों के कल्याण/संरक्षण के लिये प्रेरित किया।
- उत्तराखंड और हरियाणा के सभी नागरिकों को उनके संबंधित राज्यों के भीतर जानवरों के कल्याण और संरक्षण के लिये माता-पिता के समान कानूनी ज़िम्मेदारियाँ और कार्य करने के लिये प्रेरित किया गया था।

पशु अधिकारों के लिये संवैधानिक संरक्षण क्या है?

- भारतीय संविधान के अनुसार, देश के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि जंगलों, झीलों, नदियों और जानवरों की देखभाल तथा संरक्षण करना सभी की ज़िम्मेदारी है।
- हालाँकि इनमें से कई प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) और मौलिक कर्त्तव्यों के तहत आते हैं, जिन्हें तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वैधानिक समर्थन न हो।
- अनुच्छेद 48(A) में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और इसमें सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 51A (G) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि "जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया करे।"

राज्य और समवर्ती सूची को भी निम्नलिखित पशु अधिकार संबंधी विषय प्रदान किया गया है

- राज्य सूची के विषय 14 के अनुसार, राज्यों को "संरक्षण, रखरखाव और पशुधन में सुधार एवं पशु रोगों को रोकने तथा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण व अभ्यास को लागू करने" का अधिकार दिया गया है।
- समवर्ती सूची में शामिल वे कानून जिसे केंद्र और राज्य दोनों पारित कर सकते हैं:
- "पशु क्रूरता की रोकथाम", जिसका उल्लेख विषय 17 में किया गया है।
- "जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण" जिसका उल्लेख विषय 17B के रूप में किया गया है।

भारत में जानवरों के संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण कानून

भारतीय दंड संहिता (IPC):

- भारतीय दंड संहिता (IPC)- 1860 भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जो आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को शामिल करती है।
- IPC की धारा 428 और 429 क्रूरता के सभी कृत्यों जैसे कि जानवरों की हत्या, जहर देना, अपंग करने या जानवरों को अनुपयोगी बनाने के लिये सजा का प्रावधान करती है।

एक असंतोषजनक और विरोधाभासी प्रतिक्रिया

- न्यायालय के अनुसार भारत में जानवरों पर मौलिक अधिकार प्रदान करने वाली कोई मिसाल नहीं है, वहीं जानवरों पर अधिकार प्रदान करना न्यायिक दुस्साहस का कार्य होगा, जो अन्यथा मनुष्यों को दिया गया है।
- किसी भी जानवर द्वारा एक व्यक्ति के रूप में आह्वान नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल "मनुष्य या एक न्यायिक व्यक्ति के कहने पर पशु कल्याण के कारण की जाँच की जा सकती है"।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 14 में भी गारंटीकृत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 की तरह ही, केवल व्यक्तियों को प्रदान किया गया है।
- "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा।"
- यदि जानवर व्यक्ति नहीं है, जैसा कि न्यायालय ने माना है, तो निश्चित रूप से कानून को उसी समय अनुच्छेद 14 पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है क्योंकि समानता का अधिकार केवल न्यायिक संस्थाओं द्वारा ही दावा किया जा सकता है।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एक ऐसे कानून में बदल जाता है जो प्रभावी रूप से हमारे मौलिक अधिकारों को सजीव करने का एक साधन है। व्यक्तित्व के मुद्दों पर निर्णय लेना संसद का विशेषाधिकार हो सकता है। लेकिन हमारी वर्तमान न्यायिक संरचना पशु कल्याण की उन्नति को आगे बढ़ाने लायक परियोजना के रूप में असंभव बना देती है। वास्तव में, हमें इसे अपने सामूहिक दायित्व के रूप में देखना चाहिए।